


न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 198/2019

दायर दिनांक 14.08.2019

वादी	प्रतिवादीगण
1. फकीर मोहम्मद खाँ पुत्र अस्त अली, जाति-कायमखानी, निवासी-बेरीखुर्द, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम् 1. अनवर खाँ पुत्र समदर खाँ, 2. शौकत खाँ पुत्र समदर खाँ, 3. सिकन्दर खाँ पुत्र समदर खाँ, 4. खुशी मोहम्मद पुत्र नब्बु खाँ, 5. असलम खाँ पुत्र नब्बु खाँ, 6. मरेम बाना पत्नी नब्बु खाँ, 7. मोबिना बानू पत्नी रफीक खाँ पुत्री नब्बु खाँ, 8. परवीन बानू पत्नी बाबू खाँ पुत्र नब्बु खाँ, 9. मुस्ताक खाँ पुत्र कालू खाँ, 10. हनीफ खाँ पुत्र कालू खाँ, 11. हिदायत खाँ पुत्र कालू खाँ, 12. अनवर खाँ पुत्र कालू खाँ, 13. फैजी बानू पुत्री कालू खाँ पत्नी फतु खाँ, 14. सलीम खाँ पुत्र लाल खाँ, 15. युसुफ खाँ पुत्र लाल खाँ, 16. इकबाल खाँ पुत्र लाल खाँ, 17. अयूब खाँ पुत्र लाल खाँ, 18. हुसैन खाँ पुत्र लाल खाँ, 19. इमरान खाँ पुत्र लाल खाँ, 20. रजिया बानू पत्नी खाजू खाँ पुत्री लाल खाँ, 21. उमराव बानू पत्नी लाल खाँ, 22. युनुस खाँ पुत्र साजत खाँ, 23. घासी खाँ पुत्र साजत खाँ, 24. जेतुन बानो पत्नी साजत खाँ, 25. ताजु खाँ पुत्र अस्त अली खाँ, 26. रणजीत खाँ पुत्र अस्त अली खाँ, 27. जमीला बानू पत्नी याकूब खाँ पुत्री अस्त अली खाँ, 28. आमीना बानू पत्नी मोती खाँ पुत्री अस्त अली खाँ, 29. शमीम बानू पुत्री अस्त अली खाँ,


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 198/2019
दायर दिनांक 14.08.2019, निर्णय दिनांक 18.02.2020
फकीर मोहम्मद खाँ बनाम अनवर खाँ, वगैरा।

		समस्त,जाति-कायमखानी, निवासी-बेरीखुर्द, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 30. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 31. मदीना बानो पुत्री नब्बु खाँ, जाति-कायमखानी, निवासी-बेरीखुर्द, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।
--	--	--

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा-53, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री हाकम अली खाँ वकील वादी
2. श्री विरेन्द्र सिंह वकील प्रतिवादी

--: अंतिम निर्णय ::-

दिनांक 18.02.2020

सरहद बेरी खुर्द में खेत खसरा नम्बर 443 रकबा 04.10 हैक्टेयर भूमि व खेत खसरा नम्बर 451 रकबा 02.77 हैक्टेयर भूमि व खेत खसरा नम्बर 478 रकबा 0.70 हैक्टेयर भूमि व खेत खसरा नम्बर 480 रकबा 0.82 हैक्टेयर भूमि व खेत खसरा नम्बर 506 रकबा 02.91 हैक्टेयर भूमि तथा खेत खसरा नम्बर 507 रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि, का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 29 व 31 के मध्य वाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 09.12.2019 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 2231 दिनांक 27.12.2019 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांक: 2231 दिनांक 27.12.2019 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

आदेश

दावा अंतिम डिक्री सादिर कर, सरहद बेरी खुर्द में खेत खसरा नम्बर 443 रकबा 04.10 हैक्टेयर भूमि व खेत खसरा नम्बर 451 रकबा 02.77 हैक्टेयर भूमि व खेत खसरा नम्बर 478 रकबा 0.70 हैक्टेयर भूमि व खेत खसरा नम्बर 480 रकबा 0.82 हैक्टेयर भूमि व खेत खसरा नम्बर 506 रकबा 02.91 हैक्टेयर भूमि तथा खेत खसरा नम्बर 507 रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि, का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 2231 दिनांक 27.12.2019 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 2231 दिनांक 27.12.2019, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


(अंशुल सिंह)

सहायक R.A.S. लेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

अंतिम निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को सरे इजलास सुनाया

गया।


(अंशुल सिंह)

सहायक R.A.S. लेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 198/2019

दायर दिनांक 14.08.2019

वादी	प्रतिवादी
1. फकीर मोहम्मद खाँ पुत्र अस्त अली, जाति-कायमखानी, निवासी-बेरीखुर्द, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. अनवर खाँ पुत्र समदर खाँ, 2. शौकत खाँ पुत्र समदर खाँ, 3. सिकन्दर खाँ पुत्र समदर खाँ, 4. खुशी मोहम्मद पुत्र नब्बु खाँ, 5. असलम खाँ पुत्र नब्बु खाँ, 6. मरेम बाना पत्नी नब्बु खाँ, 7. मोबिना बानू पत्नी रफीक खाँ पुत्री नब्बु खाँ, 8. परवीन बानू पत्नी बाबू खाँ पुत्र नब्बु खाँ, 9. मुस्ताक खाँ पुत्र कालू खाँ, 10. हनीफ खाँ पुत्र कालू खाँ, 11. हिदायत खाँ पुत्र कालू खाँ, 12. अनवर खाँ पुत्र कालू खाँ, 13. फैजी बानू पुत्री कालू खाँ पत्नी फतु खाँ, 14. सलीम खाँ पुत्र लाल खाँ, 15. युसुफ खाँ पुत्र लाल खाँ, 16. इकबाल खाँ पुत्र लाल खाँ, 17. अयूब खाँ पुत्र लाल खाँ, 18. हुसैन खाँ पुत्र लाल खाँ, 19. इमरान खाँ पुत्र लाल खाँ, 20. रजिया बानू पत्नी खाजू खाँ पुत्री लाल खाँ, 21. उमराव बानू पत्नी लाल खाँ, 22. युनुस खाँ पुत्र साजत खाँ, 23. घासी खाँ पुत्र साजत खाँ, 24. जेतुन बानो पत्नी साजत खाँ, 25. ताजु खाँ पुत्र अस्त अली खाँ, 26. रणजीत खाँ पुत्र अस्त अली खाँ, 27. जमीला बानू पत्नी याकूब खाँ पुत्री अस्त अली खाँ, 28. आमीना बानू पत्नी मोती खाँ पुत्री अस्त अली खाँ, 29. शमीम बानू पुत्री अस्त अली खाँ, समस्त, जाति-कायमखानी, निवासी-बेरीखुर्द, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान,

बनाम्

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 198/2019
दायर दिनांक 14.08.2019, निर्णय दिनांक 18.02.2020
फकीर मोहम्मद खाँ बनाम् अनवर खाँ, वगैरा।

	30. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 31. मदीना बानो पुत्री नब्बु खाँ, जाति-कायमखानी, निवासी-बेरीखुर्द, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।
--	--

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 R.T.Act.

दिनांक 18.02.2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी
मिनजानिब मुद्दई श्री लालसिंह गोदारा वकील, सरहद बेरी खुर्द में खेत खसरा नम्बर
443 रकबा 04.10 हैक्टेयर भूमि व खेत खसरा नम्बर 451 रकबा 02.77 हैक्टेयर भूमि व
खेत खसरा नम्बर 478 रकबा 0.70 हैक्टेयर भूमि व खेत खसरा नम्बर 480 रकबा 0.82
हैक्टेयर भूमि व खेत खसरा नम्बर 506 रकबा 02.91 हैक्टेयर भूमि तथा खेत खसरा
नम्बर 507 रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि, का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर,
इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये
पत्रांक: 2231 दिनांक 27.12.2019 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र
खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 2231 दिनांक 27.12.2019, निर्णय एवं
डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
...खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 18.02.2020 को सरे
इजलास में जारी की गयी।


सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना
 डीडवाना (नागौर)

